Supplement—II

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 12-2021] CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 23, 2021 (CHAITRA 2, 1942 SAKA)

General Review

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, हरियाणा की वर्ष 2018–19 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा।

दिनांक 12 फरवरी, 2021

No. DE&CCH/2021/317.—

प्रशासनिक

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग का मुखिया अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव होता है जिसे निदेशक, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग हरियाणा के द्वारा सहयोग किया जाता है, जोकि आमतौर पर विशेष सचिव हरियाणा सरकार की श्रेणी का होता है। वह सरकार की तरफ से भी कार्य देखता है। एक संयुक्त निदेशक एवं तीन वैज्ञानिक ग्रेड–1 अधिकारी तकनीकी व दिन प्रति दिन के कार्य में उनकी सहायता करते हैं। विभाग द्वारा प्रदुषण नियन्त्रण और स्वच्छ वातावरण को बनाए रखने के लिए विभिन्न योजनाऐं लागू की गई हैं।

1. मुख्यालय और रैफरल प्रयोगशाला की स्थापना

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग में रैफरल प्रयोगशाला की स्थापना की है।

2. विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना

राज्य सरकार ने दो विशेष पर्यावरण न्यायालय की स्थापना फरीदाबाद और कुरूक्षेत्र में पर्यावरण से संबंधित विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत मामलों के निपटान हेतु की हैं।

3. राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण

भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने अधिसूचना दिनांक 30.01.2019 द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण अनुमोदन समिति (एस.सी.ए.सी.) तथा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) का गठन पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के तहत कैटगरी 'बी' की परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजुरी देने हेतु किया है।

4. पर्यावरण प्रशिक्षण, शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सेमीनार व कार्यशाला आयोजन के द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण के जोखिमों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्रयास कर रहा है।

5. इको क्लब की स्थापना

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने राष्ट्रीय हरित सेना के तहत राज्य के सभी 22 जिलों के विद्यालयोंमें 5250 ईको क्लबों की स्थापना की है ।

6. स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान, गुरुग्राम की स्थापना

स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों, औद्योगिक इकाईयों व समाज के विभिन्न वर्गों में पर्यावरणीय जागरुकता और ज्ञान पैदा करना है। इस संस्था की हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड पंचकुला के समन्वय से स्थापना की जा रही है।

7. जलवायु परिवर्तन डिविजन/सैल

भारत के प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जारी राष्ट्रीय मौसम परिवर्तन कार्य योजना (एन.ए.पी.पी.सी.सी.) में प्रस्तावित लक्ष्यों को लागू करने के लिए विभाग में मौसम बदलाव सैल का गठन वर्ष 2008 में किया गया था। जलवायु परितर्वन सैल में पत्र क्रमांक 2/11/2011—1ई दिनांक 06.01.2011 के तहत तीन पद अनुमोदित किये गए है।

8. राज्य नमभूमि प्राधिकरण की स्थापना

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी वेटलैंड (संरक्षण और प्रबंधन) नियम 2017 के तहत राज्य स्तरीय स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी का गठन किया गया है जिसमें वेटलैंड के संरक्षण और प्रबंधन के लिए राज्य स्तर पर पहचान दी जाएगी।

9. शिक्षुता (अप्रैनटिसशिप)

विभाग ने अप्रैनटिसशिप अधिनियम, 1961 के तहत 06 प्रशिक्षु कंप्युटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक (कोपा) और हिन्दी अशुलिपि ट्रेड के तहत विभाग में भारत सरकार के अप्रैनटिसशिप पोर्टल द्वारा लगाए गए। इन प्रशिक्षुओ को हरियाणा सरकार के समय—2 के नियमानुसार स्टाइपैंड दिया गया।

10. ऑनलाइन सेवाएं

विभाग ने बहुत सी ऑनलाइन सेवाएं बहाल की है जैसे कि ई—सैलरी, एच.आर.एम.एस., सी.सी.एम.एस. ऐस्ट मैनेजमैंट सैल, ऑनलाइन रिकुजिशन, सी.एम. विंडों, सी.एम. अनाउसमेंट इत्यादि।

11. चौकसी विभाग से सम्बन्धित सूचना ।

वर्ष 2018—19 के दौरान किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व कोई भी चौकसी जांच नहीं की गई।

धीरा खण्डेलवाल,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग।

दिनांक 27 अगस्त, 2020.